भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 830
दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट अभिघात केन्द्र

830. श्री गिरिधारी यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट अभिघात केन्द्रों के अभाव के कारण अनेक व्यक्तियों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है;
(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई दुर्घटनाओं में वर्ष-वार कुल कितनी मौतें हुई हैं;
(ग) क्या सरकार का बिहार में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक 50 कि.मी. पर अभिघात केन्द्र स्थापित करने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो इसकी निर्धारित समय-सीमा, यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) और 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दौरान "राष्ट्रीय अभिघात और जलने की चोटों की रोकथाम और प्रबंधन कार्यक्रम" (एनपीपीएमटी एंड बीआई) के तहत देश भर के सरकारी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों में 196 अभिघात परिचर्या सुविधा केंद्र (टीसीएफ) मंजूर किए गए थे। उनमें से कई राष्ट्रीय राजमार्गों के करीब स्थित हैं। 196 में से 9 टीसीएफ बिहार में स्वीकृत किए गए थे जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) सिविल अस्पताल, किशनगंज
(ii) जिला अस्पताल, पूर्णिया

(iii) सिविल अस्पताल, मधेपुरा

(iv) दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, दरभंगा

(v) एस.के. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, मुजफ्फरपुर

(vi) सिविल अस्पताल, गोपालगंज

(vii) सिविल अस्पताल, झांजरपुर

(viii) सदर अस्पताल, सासाराम, रोहतास

(ix) एएन मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गया

टीसीएफ के अलावा, बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भागलपुर में भी 02 बर्न यूनिट मंजूर की गई हैं।

इस योजना के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद नए अभिघात परिचर्या सुविधा केंद्रों की पहचान का कोई प्रावधान नहीं है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2018 से 2022 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मरने वालों की संख्या
2018	3210
2019	3403
2020	3061
2021	3493
2022	3926
